88 85

भारतीय गैर न्यायिक

10000 रु. Rs.10000

10000 रु. Rs.10000

10000 रु. Rs.10000 दस हज़ार रुपये

10000 रु. Rs.10000 RUPEES TEN THOUSAND

10000 रु. Rs.10000

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

Anand Mahanand

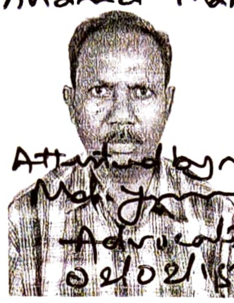

04AA 002300 | 15

आनन्द महानन्द 02/2/2015

[illegible]
46 (1) Pro [illegible]
[illegible]
23 I-A with the permission by S.D.O. Simdega vide Case No. 119 R 8 (11) 2014-15 order dated 03-1-15

02.2.15

§1§ लेखयकारी :- श्री आनन्द महानन्द पिता स्व0 बुधु महानन्द जाति- चोक बड़ाईक, पेशा- खेतीबारी, निवास ग्राम- गरजा §गरजा§गिरजाटोली, थाना- सिमडेगा, जिला- सिमडेगा ।

.. .. .. बिक्रेता ।

शपथ-पत्र संख्या :- 34 /2015

पैन नं0 ए.एम.एन.पी.एम. 0931 डी.

भारतीय गैर न्यायिक

10000 रु. Rs.10000

10000 रु. Rs.10000

10000 रु. Rs.10000 दस हज़ार रुपये

10000 रु. Rs.10000 RUPEES TEN THOUSAND

10000 रु. Rs.10000

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

04AA 002301 | 15

(2) लेख्यधारी :- श्री थेदेयुस तिर्की पिता स्व0 लुकस तिर्की जाति- उराँव, पेशा- कृषि वो नौकरी, निवास ग्राम- सरखूटोली, थाना- सिमडेगा, जिला- सिमडेगा ।

.. भारतीय नागरिक .. क्रेता ।

शपथ-पत्र संख्या :- 35/2015

पैन नं0 ए.एच.वाई.पी.टी.9862 सी.

(3) लेख्यप्रकार :- विक्रय पत्र केवाला बैला कलामी पुत्र पुत्रादिक सदा सर्वदा के लिए होता है ।

(4) मूल्य :- जमीन का मूल्य 8,37,000/- रुपये एवं उसपर निर्मित कच्चा मकान 740 वर्गफीट का मूल्य 3,31,000/- रुपये, कुल मूल्य मोबलिग ग्यारह लाख अरसठ हजार रुपये अंके 11,68,000/- रुपये होता है ।

(5) सम्पति :- एराजियात अन्दर मौजा- गोतरा, थाना- सिमडेगा, थाना नं0 80, सदर रजिस्ट्री ऑफिस वो जिला- सिमडेगा के खाता नं0 101 (एक सौ एक) प्लॉट नं0 4879 (अड़तालिस सौ उनासी) रकबा 0.27 एकड़ (सताईस डिसमिल) शहरी क्षेत्र के चार भागों में से विक्रय वाली जमीन आवासीय क्षेत्र में पड़ता है जिसपर 740 वर्गफीट में कच्चा मकान निर्मित है ।

जिसकी चौहद्दी :-

उत्तर :- रास्ता कच्चा 10 फीट का एवं किशोर मुण्डा वगैरह का टांड़,

दक्षिण :- टांड़ प्लॉट नं0 4881,

आनन्द [illegible] 07/2/2015

बजरंग प्रसाद राजेश्वर प्रसाद ग्राम- [illegible] थाना- सिमडेगा जिला- सिमडेगा 2/2/015

भारतीय गैर न्यायिक

10000 रु. Rs.10000

दस हज़ार रुपये

RUPEES TEN THOUSAND

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

04AA 002302 | 15

पूरब :- टांड़ जोसेफ तिर्की,

पश्चिम:- टांड़ इसी प्लॉट का अंश राजेश तिर्की एवं सुमित लाल का टांड़ ।

मालगुजारी 10 पैसा (दस पैसा) अलावे सेस सलाना ।

(1) चूँकि मुझ लेख्यकारी को मकान बनाने एवं शादी विवाह खर्च के लिए रूपयों की जरूरत पड़ी जिसकी व्यवस्था जमीन बेचे वगैर सम्भव न हुई और तब मैंने लेख्यधारी से मेरी जमीन खरीदने की प्रार्थना की जिसे उन्होंने खरीदना एवं रूपये देना स्वीकार किया ।

(2) इसलिए मैंने अपनी इच्छा से शरीर वो मन की स्वस्थता में रहकर उपर खाना संख्या पाँच में वर्णित जमीन को उपर्युक्त लेख्यधारी के हाथ नगद कीमत चुकता पाकर बेचा और बेची गई जमीन का कुल हक दखल वो अधिकार उक्त लेख्यधारी वो उनके उत्तराधिकारियों के हाथ सदा दिन के लिए हस्तान्तरित कर दिया । अब से बेची गई जमीन पर न मेरा कोई हक सरोकार रहा और न मेरे किसी उत्तराधिकारी या स्थानापन्न का कोई हक सरोकार रहा और न आइन्दा रहेगा ।

(3) मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि विक्रीत वर्णित जमीन मेरी खरीदगी जमीन है जिसे मैंने केवाला संख्या 1157/2013 के द्वारा खरीदा हूँ । मालगुजारी रसीद मेरे निज नाम से कटता है । उक्त जमीन पर मेरा निर्विवाद हक दखल वो कब्जा है और किसी प्रकार का वाद या झगड़ा झंझट नहीं है ।

सुधीर प्रसाद
07/01/2015

भारतीय गैर न्यायिक

10000 रु. Rs.10000

दस हज़ार रुपये — RUPEES TEN THOUSAND

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

04AA 002303 115

{4} चूँकि हम उभय पक्ष आदिवासी समुदाय के सुरक्षित सदस्य हैं अतः जमीन खरीद बिक्री हेतु अनुमति के लिए श्रीमान् उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, सिमडेगा के न्यायालय में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के तहत आवेदन दिया । जिसका वाद संख्या 119 आर 8{11}/2014-15 है जिसकी स्वीकृति दिनांक 3.1.15 को प्राप्त हुई एवं जिसका ज्ञापांक 7 दिनांक 3.1.15 है ।

{5} अब चाहिए कि लेख्यधारी अपनी जमीन पर काबिज वो दखलकार होकर अपना जैसा फायदा का समझें अपने उपयोग में लावें वो झारखण्ड सरकार वजरिये अंचल अधिकारी, सिमडेगा के कार्यालय से अपने नाम पर दाखिल खारिज कराकर तारीख लेख्य से व अदाय मालगुजारी के रसीद खास नाम से हासिल किया करें ।

{6} इसलिए यह विक्रय पत्र केवाला वैला कलामी सदा दिन के लिए लिख दिया कि प्रमाण रहे वो वक्त जरूरत पर काम आवे ।

उक्त बिक्री की जानेवाली जमीन भू-हदबंदी, कैसरे हिन्द, खास महल, सैरात, लीज, भू-दान, बंदोवस्ती, गैर मजरूआ के तहत नहीं है ।

--5--

मैं लेख्यकारी यह घोषणा करता हूँ कि विक्रीत जमीन वो बचत जमीन सिलिंग के अन्तर्गत नहीं आता है ।

आनन्द महानन्द
02-2-2015

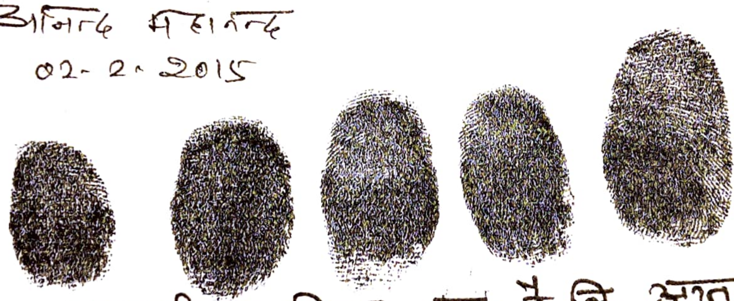

प्रमाणित किया जाता है कि आनन्द महानन्द के बांए हाथ की पांचो अंगुलियों का छाप मेरे समक्ष लिया जाता है

Md. Advocate
02/02/15

आनन्द महानन्द
02/02/2015

मैं लेख्यधारी यह घोषणा करता हूँ कि पूर्व में धारित जमीन वो खरीदगी के बाद कुल धारित जमीन सिलिंग के अन्तर्गत नहीं आता है ।

थदेयुस तिर्की
02/02/2015

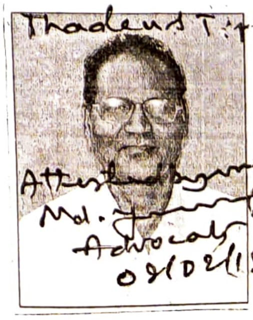

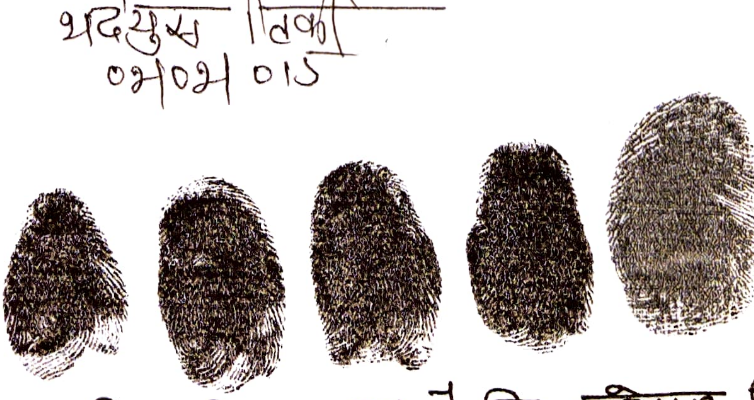

प्रमाणित किया जाता है कि थदेयुस तिर्की के बांए हाथ की पांचो अंगुलियों का छाप मेरे समक्ष लिया जाता है

Md. Advocate
02/02/15

1000Rs.

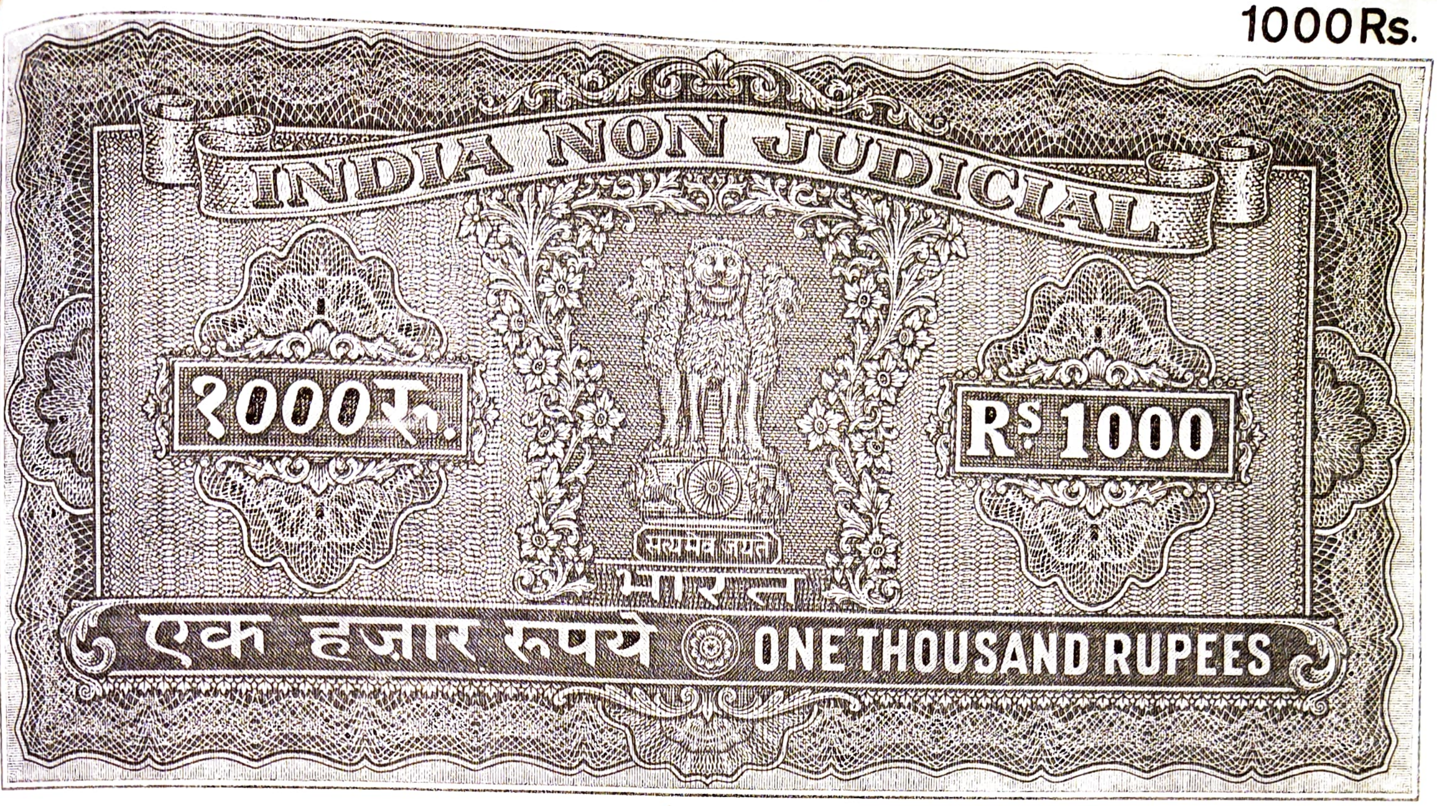

उभय पक्षों के कहे अनुसार इस विक्रय पत्र दस्तावेज का प्रारूप तैयार किया एवं उनको गवाहों के समक्ष पढ़कर सुना वो समझा दिया जिसे उन्होंने स्वीकार किया ।

सही/-

(प्रारूपकर्त्ता) 02.02.15

तारीखः-

प्रमाणित किया जाता है कि इस विक्रय पत्र दस्तावेज के कुल छः पृष्ठों में कुल 672 शब्द टंकित हैं जो खण्डन रहित वो नक्सा सहित है एवं पृष्ठ संख्या 7 से 10 तक खाली है ।

टंकक

2-2-2015

मो0 मकसुद
कचहरी परिसर,
सिमडेगा ।